कार्यालय जिला रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट अधिकारी, अलीगढ़।

पत्रांक 237 /एल0ए0सी0/रो0सा0लि0 दिनांक 06-02-2007.

विषय : प्रार्थना पत्र श्री पवन शर्मा ऑथराइज्ड सिगनेटरी वास्ते एफ0सी0एल0 टेक्नोलोजिस एण्ड प्रोडक्ट लि0 (डिस्टिलरी डिवीजन) निवासी कारपोरेट ऑफिस ए–107, सेक्टर–4, नोयडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर, बावत अलीगढ़–रामघाट मार्ग, एम0डी0आर0–105 के कि0मी0–17 (16.433 से 16.680) में बाउण्ड्रीवाल एवं एप्रोच रोड निर्माण की अनुमति के सम्बन्ध में।

सेवा में,

श्री पवन शर्मा,
ऑथराइज्ड सिगनेटरी वास्ते एफ0सी0एल0
टेक्नोलोजिस एण्ड प्रोडक्ट लि0,(डिस्टिलरी डिवीजन)
कारपोरेट ऑफिस सं0 107, सेक्टर–4, नोयडा
जनपद गौतमबुद्ध नगर।

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र की जॉच अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अलीगढ़ से करायी गयी। जिन्होंने अपने पत्र संख्या 265/2 सी0 दिनांक 31.01.2007 के अन्तर्गत निम्न शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की संस्तुति की हैं

1. यह कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र यू0पी0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के प्राविधानों के अन्तर्गत तैयार कर प्रस्तुत किये गये है।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य जिलाधिकारी अलीगढ़ की अनुमति प्राप्त किये बगैर प्रारम्भ नहीं कराया गया है।
3. आवेदक के विरूद्ध उक्त प्रस्तावित निर्माण का वाद यू0पी0रो0सा0लै0क0 एक्ट 1945 की धारा 13 (1) अथवा 13 (2) के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल नगर पालिका/टाउन एरिया के अन्तर्गत नहीं पड़ता है।
5. प्रस्तावित निर्माण अलीगढ़–रामघाट एम0डी0आर0 मार्ग के कि0मी0–17 के (चैनेज 16.433 से 16.680) पर दाँयी तरफ मार्ग के मध्य से 65 फुट की दूरी पर पड़ता है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल अरबन तथा औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।
7. प्रस्तावित निर्माण स्थल कृषि योग्य भूमि पर नहीं है।
8. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण की अनुमति हेतु संस्तुति करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र मार्ग के मध्य से 65 फुट की दूरी पर निम्न शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है।

(ए) आवेदक को स्वयं के प्रयोग के पानी का बहाव एवं मार्ग के बर्षाती आदि के पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा, जो मार्ग के मध्य से 65 फुट की दूरी पर बनायी जाने वाली रोड साइड ड्रेन को किसी भी दशा में बन्द नहीं किया जावेगा।

.........2

For WAVE DISTILLERIES & BREWERIES LIMITED
Authorised Signatory

(बी) आवेदक को रोड साइड ड्रेन का निर्माण स्वयं के खर्चे पर लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अन्तर्गत करना होगा।

(सी) आवेदक द्वारा विभागीय भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थाई अथवा अस्थाई अनाधिकार अवैध कब्जा नहीं किया जावेगा और न सुचारु यातायात के संचालन में किसी भी प्रकार से अवरोध उत्पन्न किया जावेगा।

(डी) आवेदक को प्रस्तावित निर्माण की अनुमति मिलने के एक माह के अन्दर विभागीय भूमि को आवागमन के रूप में प्रयोग करने हेतु लीज अनुबन्ध कराना होगा, साथ ही लीज अनुबन्ध की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर समय–समय पर नवीनीकरण कराना होगा।

(ई) प्रस्तावित स्थल से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का भूमि सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होने पर दी गयी अनुमति मान्य नहीं होगी बल्कि स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

(एफ) किसी भी विवाद मामले के उत्पन्न होने पर विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम निर्णय होगा, जो आवेदक के साथ–साथ सभी विभागों को मान्य होगा।

(जी) सरकारी किसी भी योजना के जनहित में लागू होने पर प्रदान की गयी अनुमति मान्य नहीं होगी बल्कि स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

(एच) आवेदक द्वारा स्वीकृत भवन के निर्माण में अथवा पुनः निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की रद्दोबदल की जाती है तो उसकी अनुमति उपरोक्त शर्तो एवं अनुमति का उल्लेख करते हुए पुनः अलग से प्राप्त करनी होगी।

(आई) मुख्य मार्ग से अपनी साइट तक की एप्रोच रोड का निर्माण स्वयं के खर्चे से लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा।

(9) सभी शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी शर्त का पालन न करने पर दी गयी अनुमति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। अलग से किसी भी प्रकार के आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अतः उक्त अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, अलीगढ़ की संस्तुति एवं शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

संलग्नक – स्थल मानचित्र एक प्रति में।

6/2/10

जिला रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट अधिकारी
अलीगढ़।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि – अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट अधिकारी
अलीगढ़।

For WAVE DISTILLERIES & BREWERIES LIMITED

Authorised Signatory

Scanned with CamScanner